रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2010/श्रावण 11, 1932
No. 430] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2010/SHRAVANA 11, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 652(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 761(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2009 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 22 अक्तूबर, 2009 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 42 के उप-नियम (ययय) (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ययय)(12क). प्रत्येक खाद्य पैकेज पर, जिसमें जो नियम 47 में दी गई सारणी में उल्लिखित एसेसल्फेम पोटेशियम और सुक्रालोस मधुकारकों का मिश्रण अनुज्ञात है, निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात् :-

(i) यह ....(खाद्य का नाम) सुक्रालोस और एसेसल्फेम पोटेशियम के मिश्रण से युक्त है ;
(ii) बच्चों के लिए सिफारिश नहीं की जाती है ;
(iii) * (क) बढ़ाई गई चीनी की मात्रा......ग्रा./100 ग्रा. ;
*(ख) उत्पाद में कोई चीनी नहीं बढ़ाई गई ;
(* जो लागू न हों उसे काट दें)।";

3. उक्त नियमों में, -

(क) नियम, 47 में, --

(i) उपनियम (1) के तीसरे परंतुक में, "छह मि.ग्रा प्रति सौ मि.ग्रा. टेबलेट या कणिका" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"छह मि.ग्रा प्रति टेबलेट या कणिका का सौ मि.ग्रा.";

(ii) उपनियम (2) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि कार्बोनेटीकृत जल में सुक्रालोस और एसेसल्फेम पोटिशियम के संयोजन का उपयोग ऐसे अनुपात में किया जा सकेगा जो नियम 42 के उप नियम (ययय) (12क) में यथाउपबंधित लेबल घोषणा के अधीन कार्बोनेटीकृत जल में इन व्यक्तिगत कृत्रिम मीठा कारकों के लिए अनुज्ञात स्तर के आनुपातिक स्तर से अधिक न हो ।"

(ख) उक्त नियमों के नियम 47क से संबंधित सारणी में, क्र0 सं0 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र0 सं0	पालियोल का नाम	खाद्य पदार्थ	अधिकतम सीमा
“3	मल्टीटोल/मल्टीटोल शर्बत	बेकरी उत्पाद, आइसक्रीम, प्रशीतित डिजर्ट, जैम, जेली और मार्मलेड	जीएमपी ।”

4. उक्त नियमों के नियम 61-कक में, --

(i) “बेक्ड खाद्यो” और “हल्का नाशता” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु माडीफाईड खाद्य स्टार्चेज (व्युत्पन्न स्टार्चेज) का उपयोग हल्का नाशता, प्रशीतित आलू उत्पाद, बेक्ड खाद्य पदार्थ और सलाद सजावट /मायोनीज़ में वजन द्वारा पांच प्रतिशत के अधिकतम सांद्रण तक उपयोग किया जा सकेगा ।”

5. उक्त नियमों में नियम 61च के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**61. च विभिन्न खाद्य पदार्थों में हाइड्रोक्सिप्रोपाईल मिथाइल सेल्यूलोज का उपयोग** -- हाइड्रोक्सिप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज़ का उपयोग निम्नलिखित खाद्य उत्पादों में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अधिकतम स्तर से अधिक नहीं किया जा सकेगा :--

सारणी

क्रम संख्या	खाद्य पदार्थ	अधिकतम स्तर
(1)	(2)	(3)
(i)	गैर-डेयरी व्हिप टोपिंग	2.0 प्रतिशत
(ii)	हल्का नाशता, नमकीन, मध्याह्न भोज्य मीट और कुक्कुट उत्पाद, तत्काल मिश्रण जैसे कि इडली मिश्रण, डोसा मिश्रण, उपमा मिश्रण, पोंगल मिश्रण, पुलीयोगेयर मिश्रण, गुलाब जामुन मिश्रण, जलेबी मिश्रण, वड़ा मिश्रण आदि सलाद सजावट/ मायोनीज़, ग्रेवी के लिए मिश्रण, आइसक्रीम, प्रशीतित डिजर्ट, पुडिंग और कस्टर्ड	1.0 प्रतिशत
(iii)	डेयरी आधारित पेय पदार्थों के लिए मिश्रण	0.5 प्रतिशत ।”।

6. उक्त नियमों में नियम, 64-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"64.कक वासकों में एंटीकेकिंग कारक का उपयोग -- सिंथेटिक एमारफोस सिलिकोन डायोक्साइड का उपयोग पाउडर सुवासक पदार्थों में अधिकतम दो प्रतिशत तक किया जा सकेगा ।" ।

7. उक्त नियमों में नियम, 72घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"72.ङ डाइमिथाइल डाईकारबोनेट का उपयोग - डाइमिथाइल डाईकारबोनेट का उपयोग फल वाले पेय पदार्थों, तैयार चाय पेय पदार्थों, आइसोटोनिक/ खेल पेय पदार्थों और सुवासित जल में 200 मि.ग्रा./लीटर अंतिम उत्पाद में अधिकतम मेथोनोल तत्व के अधीन रहते हुए, 250 मि.ग्रा. /लीटर तक किया जा सकेगा ।" ।

[फा. सं. पी. 15014/8/2008-पीएच (एफ)]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण--मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 2106 तारीख 12 सितंबर, 1955 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488 (अ) तारीख 9.6.2010 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August 2010

G.S.R. 652(E).— Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules 1955 were published, as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), in the Gazette of India, vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), number G. S. R. 761 (E), dated the 20th October, 2009, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on 22nd October, 2009;

And whereas, objections and suggestions received from the public within the specified period on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954(37 of 1954), the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (.......5th........ Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 42, after sub-rule (ZZZ)(12), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(ZZZ)(12A). Every package of food which is permitted to contain a mixture of Acesulfame Potassium and Sucralose sweeteners mentioned in the Table given in rule 47, shall carry the following label, namely:-

(i)	This...............(Name of Food) contains a mixture of Sucralose and Acesulfame Potassium;
(ii)	Not recommended for children;
(iii)	*(a) Quantity of sugar added............gm/100 gm;
	*(b) No sugar added in the product; (*Strike out whichever is not applicable).";

3. In the said rules,-

(a) in rule 47,-

(i) in sub-rule(1), in the third proviso, for the words "six mg. per hundred mg. of tablet or granule", the following words shall be substituted, namely:-

"six mg. per tablet or hundred mg. of granule.";

(ii) in sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in carbonated water, the combination of Sucralose and Acesulfame Potassium may be used in ratio not to exceed proportionate levels of the permissible levels allowed for these individual artificial sweeteners in carbonated water under label declaration as provided in sub-rule (ZZZ) (12A) of rule 42.";

3027 GI/10-2

(b) in the Table relating to rule 47A of the said rules, after Sr. No. 2 and the entries relating thereto, the following Sr.No. and entries shall be inserted, namely:-

TABLE

Sr.No.	Name of Polyols	Article of Food	Maximum Limit
"3	Maltitol / Maltitol syrup	Bakery products, ice-cream, frozen desserts, jam, jellies and marmalades	GMP.".

4. in the said rules, in rule 61-AA,-

(i) the words "baked foods" and "snacks" shall be omitted;

(ii) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that modified food starches (derivative starches) may be used in snacks, frozen potato products, baked foods and salad dressing / mayonnaise upto a maximum concentration of 5 percent by weight.".

5. in the said rules, for rule 61-F, the following rule shall be substituted, namely:-

"61-F. Use of Hydroxypropyl Methyl Cellulose in various foods. – Hydroxypropyl Methyl Cellulose may be used in the following food products not exceeding in maximum level mentioned in column 3 of the Table given below:-

TABLE

S.No.	Article of Food	Maximum Level
(1)	(2)	(3)
(i)	Non-dairy whip topping	2.0 percent
(ii)	Snacks, savories, luncheonmeat and poultry products, instant mixes such as idli mix, dosa mix, upma mix pongle mix, puliyogare mix, gulab jamun mix, jalebi mix, vada mix etc., salad dressing / mayonnaise, mixes for gravies, ice-cream, frozen desserts, puddings and custards	1.0 percent
(iii)	Mixes for dairy based drinks	0.5 percent.".

6. in the said rules, after rule 64-A, the following rule shall be inserted, namely:-

"**64-AA. Use of anticaking agent in flavours.-** Synthetic Amorphous Silicon Dioxide may be used in powder flavouring substances upto 2 percent maximum.".

7. in the said rules, after rule 72-D, the following rule shall be inserted, namely:-

"**72-E. Use of Dimethyl Dicarbonate.** – Dimethyl Dicarbonate may be used in fruit drinks, ready to drink tea beverages, isotonic/sports drinks and flavoured water upto 250 mg. / litre subject to maximum methanol content in final product as 200 mg./litre.".

[F. No. P.15014/8/2008-PH (F)]
VINEET CHOUDHARY, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 2106 dated the 12th September, 1955 and were lastly amended vide notification G.S.R. number 488(E) dated 09.06.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.